पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–12] रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 नवम्बर, 2011 ई0 (कार्तिक 21, 1933 शक सम्वत्) [संख्या–46

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	411–413	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	355–374	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–2

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2011 ई0

संख्या 763/XIII–II**/2011–79(01)/2004–**T.C.–राज्यपाल, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2011) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01 नवम्बर, 2011 को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the following English translation of Notification **no. 763/XIII-II/2011-79(01)/2004-T.C.,** dated October 18, 2011 for general information :

NOTIFICATION

October 18, 2011

No. 763/XIII-II/2011-79(01)/2004-T.C.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of The Uttarakhand Agriculture Produce marketing (Development and Regulation) Act, 2011 (Act No. 09 of 2011), the Governor is pleased to appoint November 01, 2011, as the date of commencement of the said Act.

By Order,

OM PRAKASH,
Secretary.

सिंचाई विभाग

शुद्धि-पत्र

24 मार्च, 2011 ई0

पत्रांक 556/II–2011–01(440)/2003–श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं श्री विनोद कुमार, सहायक अभियन्ता (सिविल) की अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति विषयक विज्ञप्ति/पदोन्नति संख्या 556/II–2011–01(440)/2003, दिनांक 17–3–2011 के प्रस्तर संख्या–2 की तीसरी पंक्ति में श्री राजेश कुमार को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा **के स्थान पर** उक्त अधिकारियों को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा, पढ़ा जाय।

2–विज्ञप्ति/पदोन्नति संख्या 556/II–2011–01(440)/2003, दिनांक 17–3–2011 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3–विज्ञप्ति पदोन्नति संख्या 556/II–2011–01(440)/2003, दिनांक 17–3–2011 की अन्य शर्तें एवं प्राविधान पूर्ववत् रहेंगे।

एन0 के0 जोशी,
अपर सचिव।

विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड

(अधिष्ठान अनुभाग)

कार्यालय-ज्ञाप

12 अक्टूबर, 2011 ई0

संख्या 2224/वि0स0/09/अधि0/2000—इस सचिवालय की विज्ञप्ति/पुनर्नियुक्ति संख्या—2131/वि0स0/09/अधि0/2000, दिनांक 07 सितम्बर, 2011 के क्रम में मा0 अध्यक्ष, विधान सभा ने श्री महेश चन्द्र, सेवा निवृत्त प्रमुख सचिव, विधान सभा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये अथवा उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) की नियमावली, 2011 में वर्णित व्यवस्थानुसार चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन होने तक, जो भी पहले हो, प्रमुख सचिव, विधान सभा के पद पर पुनर्नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। श्री महेश चन्द्र की प्रमुख सचिव, विधान सभा के पद पर पुनर्नियुक्ति की अवधि में पुनर्योजन की शर्तें निम्नवत् होंगी :—

1. श्री महेश चन्द्र को पुनर्नियुक्ति की अवधि में अस्थायी सरकारी सेवक माना जायेगा।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा के रूप में श्री महेश चन्द्र, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के नियंत्रणाधीन रहेंगे एवं प्रमुख सचिव, विधान सभा के पद की समस्त प्रशासनिक/वित्तीय, विधायी तथा अन्य समस्त शक्तियां प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की हैसियत से उनमें निहित होंगी।
3. पुनर्नियुक्ति अवधि में श्री महेश चन्द्र को वह नियत वेतन अनुमन्य होगा, जो उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन में से उनकी शुद्ध पेंशन (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) की धनराशि को घटाकर आये अथवा पुनर्योजन पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। पुनर्योजन की अवधि में पेंशन पर पृथक् से महंगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।
4. पुनर्योजन की अवधि में श्री महेश चन्द्र को अनुमन्य शुद्ध वेतन तथा शुद्ध पेंशन के योग पर यथा अनुमन्य महंगाई एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
5. श्री महेश चन्द्र को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड दो, भाग 2 से 4 में विहित तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थायी अधिकारियों की भांति अवकाश देय होगा।
6. पुनर्योजन की अवधि में श्री महेश चन्द्र को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे, जैसा कि यात्रा भत्ता नियम के नियम 16-ए में प्राविधान है।
7. पुनर्योजन की अवधि में अस्थायी/तदर्थ पेंशन की वृद्धि व राहत यदि कोई हो, अनुमन्य नहीं होगी।
8. पुनर्योजन की अवधि में पेंशन के लिये नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. पुनर्योजन की अवधि में श्री महेश चन्द्र को अवकाश नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

श्री महेश चन्द्र के वेतन तथा भत्ते पर होने वाला व्यय संबंधित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या—01 लेखा शीर्षक 2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र—विधान मण्डल—आयोजनेत्तर—02—राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल—101—विधान सभा—103 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्रावली संख्या : 09/अधि0/2000 में प्राप्त अभिमत के अनुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

ह0/—

विष्णु चक्र थपलियाल,

संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 46 हिन्दी गजट/560—भाग 1—2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।